



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्र-परिषद के नरिणय

चर्चा में क्यों?

12 दसिंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्र-परिषद की बैठक में मंत्र-परिषद द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों को 'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में उन्नयन कयि जाने के संबंध में नरिणय लेने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए।

प्रमुख बदि

- मंत्र-परिषद द्वारा प्रदेश के सभी ज़िला मुख्यालयों पर संचालति अग्रणी/चहिनति महाविद्यालयों को 'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में उन्नयन कयि जाने के संबंध में नरिणय लयि गया।
- वर्तमान में प्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय संचालति है। प्रदेश के ज़िला मुख्यालयों पर संचालति अग्रणी/चहिनति महाविद्यालयों में सभी संकायों में सुवधाओं में वृद्धि करते हुए महाविद्यालयों को 'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में उन्नयन कयि जाएगा।
- मंत्र-परिषद द्वारा उच्च शक्तिषा वभिग अंतरगत संचालति शासकीय/नजिी वशि्वविद्यालयों में छात्रों की डगिरी/अंकसूची को डजिलॉकर में अपलोड कयि जाने का नरिणय लयि गया।
 - उच्च शक्तिषा वभिग अंतरगत 16 शासकीय एवं 53 नजिी वशि्वविद्यालय संचालति हैं। अभी तक कुल 09 शासकीय वशि्वविद्यालयों एवं 5 नजिी वशि्वविद्यालयों के वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के छात्रों की अधकिंश डगिरी/अंकसूची डजिलॉकर में दर्ज की जा चुकी है।
 - मंत्र-परिषद द्वारा 1 जनवरी, 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था मध्य प्रदेश के सभी 55 ज़िलों में लागू करने का नरिणय लयि गया है।
- प्रदेश में बनिा आवेदन, नामांतरण और अभलिख दुरुस्तीकरण की फेसलेस व्यवस्था जून, 2022 से लागू की गई है। इसे 'साइबर तहसील' नाम दयिा गया है।
 - इसमें रजसि्ट्री उपरांत, करेता के पक्ष में अवविादति नामांतरण, एक फेसलेस, पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रकरयिा के द्वारा 14 दनि में बनिा आवेदन के और बनिा तहसील के चक्कर लगाए स्वतः ऑटोमेटकि तरीके से हो जाता है और खसरे तथा नकशे में भी करेता का नाम चढ़ जाता है।
 - वर्तमान में यह व्यवस्था प्रदेश के 12 ज़िलों की 442 तहसीलों में लागू है। इसके माध्यम से अब तक 16 हज़ार से अधकि प्रकरणों का नरिाकरण कयि जा चुका है।
 - मंत्र-परिषद द्वारा तैदूपत्ता संग्रहण दर 3 हज़ार रुपए प्रतिबोरा से बढ़ाकर 4 हज़ार रुपए प्रतिबोरा करने का नरिणय लयि गया। इससे 35 लाख से अधकि तैदूपत्ता संग्रहकों को 162 करोड़ रुपए का अतरिकित पारशि्रमकि प्रापूत होगा।
- उल्लेखनीय है कि तैदूपत्ता संग्रहण दर वर्ष 2017 में 1250 रुपए प्रतिबोरा थी, जसिे वर्ष 2023 में बढ़ाकर 3 हज़ार रुपए प्रतिबोरा कर दयिा गया था।
- मंत्र-परिषद द्वारा धारमकि स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि वसितारक यंत्रों को अवैधानकि रूप से और नरिधारति मापदंड से अधकि बजाने पर प्रतबिंध लगाए जाने के संबंध में नरिणय लयि गया।
- मंत्र-परिषद द्वारा गंभीर अपराधों एवं आदतन अपराधयिों की पूरव अपराधों में प्रापूत जमानत सीआरपीसी की धारा 437, 438, 439 के प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय से नरिसूत करवाए जाने के संबंध में नरिणय लयि गया।
- मंत्र-परिषद द्वारा प्रदेश के नगरीय कषेत्रों में बनिा लाईसेंस के खुले में अवैध रूप से माँस-मछली आदि का क्रय-वकि्रय पर प्रतबिंध का नरिणय लयिा गया।



PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/decisions-of-the-councilof-ministers-under-the-chairmanship-of-cm-dr-mohan-yadav>

